

श्रीमान जी,

निवेदन है कि श्रीमान् जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक:-पंजी/11/2338 दिनांक 23.11.2011 द्वारा श्रीमान् जी को बन्द वसीयत प्रार्थना पत्र एवं बन्द वसीयत खुलवाने बाबत अधिकृत किया हुआ है। जिसकी पालना में उक्त बन्द वसीयत को खोलने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रार्थी सुरजन सिंह पुत्र पोला सिंह जाति जटसिख निवासी चक 15 एसजीआर ढाणी तहसील सूरतगढ व जिला श्रीगंगानगर ने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, रसीद गुम होने बाबत हलफनामा, मृत्यु प्रमाण पत्र, आई डी प्रूफ, वारिसनामा पेश कर निवेदन किया है कि मेरे पिता पोला सिंह पुत्र गुरबचन सिंह जाति जटसिख निवासी चक 23 एलजीडब्ल्यू तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर हाल निवासी फूलेवाल तहसील व जिला मुक्तसर साहिब (पंजाब) ने दिनांक 16.03.2004 को वसीयत कस्टडी में रखवाई थी। जिनका देहांत दिनांक 29.11.2020 को हो गया था। उनके द्वारा दिनांक 16.03.2004 को रखवाई गयी वंद वसीयत खोला जाकर निष्पादन की कार्यवाही हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थी को गवाह हरप्रीत सिंह पुत्र सिकन्दर सिंह एवं गोरी शंकर पुत्र मल्लूराम ने पहचाना है। प्रार्थी एवं गवाहों की शिनाख्त श्री राम गोपाल स्वामी अधिवक्ता ने की है। अतः निर्धारित शुल्क जमा कर सील्ड पैकेट बंद लिफाफा खोले जाने हेतु प्रस्तुत है।

अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है।

जिला पंजीयक महीदय

५५

30/12/2020

Jems - 2020 / 00226